परि-"अ"

नीलम अभय मिश्रा

पूर्व विधायक
विधान सभा क्षेत्र,69-सेमरिया
जिला-रीवा (म.प्र.)

निवास : व्हाइट हाउस, अर्जुन नगर रीवा (म.प्र.)
फोन/फैक्स : [28/7/2022] 07662-255970
मोबा. : प्लाट नं.2, न्यू सांसद विधायक कॉलोनी जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : neelammishra069@gmail.com

प्रश्न सं. [क्र. 678]

15/01/2022

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- स्वीकृत नक़्शे के विपरीत कराये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में (विधानसभा शीत कालीन सत्र का तारांकित प्रश्न क्र 1037)

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र. 1635/ न परि./भवन अनुज्ञा /2021 सेमरिया दिनांक 24/12/2021|

उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.01.2022 को मुझे मेरे मेल आई डी पर प्राप्त हुआ है जिसमे आपके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक पीछे की दिनांक डाली गई है, आपके पत्र क्र 1524/ न परि./भवन अनुज्ञा /2021 सेमरिया दिनांक 07/12/2021 के माध्यम से पूर्व में शीतकालीन सत्र के तारांकित प्रश्न क्र. 1037 का उत्तर विधानसभा हेतु दिया जा चुका है 15 दिवस उपरांत पुनः उसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से विधानसभा प्रश्न के परिपेक्ष्य में पत्र दिया जाना राजनैतिक दवाब में दुर्भावनापूर्ण लिखा गया पत्र प्रतीत होता है |

आपके द्वारा प्रदत्त पत्र क्र. 1635/ न परि./भवन अनुज्ञा /2021 सेमरिया दिनांक 24/12/2021 के बिंदु क्रमांक 1,2,3 के सम्बन्ध में मेरा उत्तर है कि -

तत्सम्बंध में दिनांक 14/12/2021 को प्रशासक - नगर पंचायत सेमरिया श्री प्रवीण त्रिपाठी (तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा) के निर्देश पर मौके पर अब तक किये जा चुके निर्माण कार्य की माप (लम्बाई *चौड़ाई *ऊंचाई) स्थानीय पटवारी वेद कुमार एवं नगर पंचायत के कर्मचारी डिप्लोमाधारी (सिविल) जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा गवाहों के समक्ष कर पंचनामा तैयार कर उसमे लेख किया गया है कि अब तक कराया जा चुका कार्य स्वीकृत नक़्शे एवं भवन अनुज्ञा अनुरूप सही पाया गया है उक्त कार्यवाही के दरम्यान पूरा वीडियो बना हुआ है यदि मेरा कथन गलत है तो प्रशासक महोदय - नगर पंचायत श्री प्रवीण त्रिपाठी से सत्यापित किया जा सकता है |

यदि आपके द्वारा विधानसभा में गलत जानकारी प्रस्तुत कर सदन को गुमराह नहीं किया गया है तो आपके द्वारा स्वयं स्पष्ट लेख किया गया है की विधायक सेमरिया का आरोप गलत है एवं कराया गया निर्माण स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुरूप है |

बिंदु क्रमांक 4 के सम्बन्ध में लेख है कि प्रशासनिक पद पर पदस्थ होकर अधिनियम के अध्ययन के अभाव में लेख करना कि रेरा का पंजीयन आवश्यक है | एकदम गलत है कृपया पुनः अध्ययन करे | उपरोक्त अनुक्रम के कार्य के लिए रेरा का पंजीयन आवश्यक नहीं है क्यों कि यह निजी उपयोग हेतु निर्माणाधीन संपत्ति है |

कार्य का निरीक्षण समय समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता रहा है |एवं पूर्व में कुर्सी स्तर के निर्माण उपरांत मेरे द्वारा स्वयं के स्तर पर नगर पंचायत सेमरिया के सिविल/पब्लिक सर्वेन्ट को लिखित में सूचना दी जा चुकी है | अनुज्ञा शर्तों के अनुरूप निर्माण कार्य सम्बंधित ऑनलाइन सूचना देने का कार्य आपके कार्यालय में रजिस्टर्ड कंसलटेंट का है उन्ही की आई.डी. से सूचना दी जाना है एवं उसके लिए वैधानिक रूप कंसलटेंट ही उत्तरदायी है न की मै | उनके द्वारा मुझे बताया गया कि पूर्व में कई बार ऑनलाइन सूचना देने का प्रयास किंतु आपके पोर्टल में मेंटीनेन्स के चलते एवं सूचना भेजे जाने के दौरान पोर्टल फेल पाया गया बाद में सर्वर/ इंटरनेट /पोर्टल सुधर जाने पर कई माह पूर्व पोर्टल में सूचना दी जा चुकी है | जिससे स्वयं स्पष्ट है कि निर्माण कार्य स्वीकृत अनुज्ञा शर्तो के अनुरूप है|

अनुज्ञा स्वीकृति के समय तात्कालिक सी.एम.ओ. आप ही थे निश्चित है कि आपके द्वारा चाहे गए दस्तावेज़ के आधार पर ही पूर्ण होश हवाश में आपने भवन अनुज्ञा स्वीकृत की होगी |

आज वर्तमान में स्थानीय विधायक श्री त्रिपाठी के राजनैतिक दवाब में आपके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से प्रदत्त अनुज्ञा में प्रश्नचिन्ह खड़ा किया जा रहा है जो दुर्भावना से प्रेरित है | तत्सम्बंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराने के उपरांत शासन द्वारा निर्धारित समयसीमा में मेरे आवेदन का निराकरण नहीं किये जाने पर छतिपूर्ति हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होंगे |

Neelam-sh
नीलम मिश्रा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् सेमरिया
जिला रीवा (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

स्थल - पंचनामा

आज दिनांक 14/12/2021 को ग्राम सेमरिया स्थित भूमि खसरा क्र. 6/1/1/1, 426/1/2, 426/5, 427/2/1/2, 427/4/1, 427/4/2 में निर्माणाधीन अनुज्ञप्ति इमारत की पंचनामा नगर परिषद सेमरिया के उप इंजीनियर जीतेन्द्र श्रीवास्तव के द्वारा हल्का पटवारी सेमरिया व अन्य समक्ष व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि की मालिक श्रीमती नीलम मिश्रा पति आलोक मिश्रा है। वर्तमान में नक्शा अनुसार स्वयं की भूमि पर निर्माण कर रही है। निर्माणाधीन इमारत पूर्व में नगर परिषद सेमरिया से अनुमति लेने के उपरान्त G+3 के अनुसार है तथा पंचनामा लिए मौके पर पाया गया कि अनुमति हेतु स्वीकृत नक्शा अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। सब इंजी. न.प. सेमरिया के द्वारा निर्माणाधीन इमारत लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई नापी गई एवं चबूतरा व पार्किंग की भी मिलान की गई तथा पाया गया कि वर्तमान स्थिति में जितना निर्माण किया गया है व सैंक्शन स्वीकृत नक्शे में जितना निर्माण किया गया है व उपरोक्त आदेशों अनुसार है। मौके का पंचनामा तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए गए।

भगीरथी शुक्ला सेमरिया 14/12/21

प्रमोद कुशवाहा विनोद प्रसाद

अंकित सिंह बघेल Ankit 14/12/21

दिलीप तिवारी (विपिन द्विवेदी) दिलीप तिवारी

संतोष तिवारी ममता

मुकेश पटेल

संजीव सिंह दिनोला

पटवारी 14/12/2021

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सेमरिया
जिला रीवा (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:आदेश:

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2022

क्रमांक एफ 11-142/2021/18-1,: विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 05.01.2022 को अतिक्रमित करते हुए विधानसभा सत्र दिसम्बर, 2021 में नगर परिषद, सेमरिया के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न क्रमांक 1037 "नियम विरुद्ध निर्माण" की जांच हेतु निम्नानुसार तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम एवं पदस्थापना स्थल
1.	श्री राजेश नागल	संयुक्त संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
2.	श्री राजीव गोस्वामी	प्रभारी अधीक्षण यंत्री	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
3.	श्री प्रदीप मिश्रा	संभागीय प्रभारी अधीक्षण यंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर

2/ उक्त जांच समिति तारांकित प्रश्न क्रमांक 1037 "नियम विरुद्ध निर्माण" की जांच हेतु नगर परिषद सेमरिया से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निर्माण स्थल का निरीक्षण एवं संबंधित पक्षों का कथन लेकर परीक्षणोपरांत तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(तरूण राठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11-142/2021/18-3,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2022

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
2. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मा.मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग, रीवा। कृपया जांच समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)। जांच समिति को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना तथा जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
8. समिति के सदस्यगण।
9. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सेमरिया
जिला-रीवा (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

CamScanner